


**न्यायालय श्रीमान् राजस्व मन्डल म्याजिस्ट्रेट सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)**



श्री शिविन्द्र सिंह एल.  
द्वारा पेश/20-10-15  
मि.

R. 5122-दे 115

फूलमती पत्नी जयन्तराम ब्राम्हण निवासी ग्राम हिनौता, तहसील मझौली, जिला  
सीधी म०प्र० .....आवेदिका / निगरानीकर्ता

बनाम

01. बाबूलाल पिता मंगल नाई  
02(अ) <sup>रामचरण</sup> ~~रामचरण~~ तनय स्व० छोटेलाल नाई  
(ब) रघुवर तनय स्व० छोटेलाल नाई  
(स) रघुनाथ तनय स्व० छोटेलाल नाई  
(द) सुरेश भाई तनय स्व० छोटेलाल नाई  
03. मु० जमुनी बाई पत्नी स्व० निचकू नाई  
04. राजेश नाई तनय चित्रसेन नाई  
05. मोतीलाल तनय गोपाली नाई

सभी निवासी ग्राम भदौरा तहसील कुसमी जिला सीधी म०प्र०

.....अनावेदक / गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर  
कमिश्नर रीवा संभाग रीवा कैम्प कोर्ट सीधी  
म०प्र० (पीठासीन अधिकारी के०पी० राही)  
प्रकरण क्र० 813/अपील/2014-15  
आदेश दिनांक 19.08.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता 1959

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण


अ- यह कि विवादित भूमि निगरानीकर्ता के स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमियां हैं  
जिसमें वह बतौर मालिक स्वत्वाधारी के काबिज थी किन्तु राजस्व  
अभिलेखों में अनावेदक क्र० 2 के पिता छोटेलाल, अनावेदक क्र० 3 के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5122-II/15

जिला-सीधी

फूलमती ब्रा०/बाबूलाल

(1)	(2)	(3)
26.04.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	